३२२१-९०४७-II/16 (47) (30)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 ,

विनोपित विनोपित

श्रीमती मुमताज बानो पत्नी स्व0 मो0 मोतीन निवासी ग्राम रघुनाथगंज टिकुरा तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 .. आवेदिका

बनाम

1 मो0 फ़कीर तनय मो0 सिद्दीकी निवासी टिकुरा रघुनाथगंज तह0 मनगवां , जिला रीवा म0प्र0

2- मो0 सलीम तनय मो0 सिद्दीकी निवासी ग्रा0 रघुनाथगंज टिकुरा तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 .... अनावेदक गण

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एड0 द्वारा आज दि. 4-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4/8/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वीरेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट रीवा 4-8-16

याचिका बाबत माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के निगरानी प्र0क्र0 क्रमांक :3828/II-2012-013-014 एवं 3829/II 2012-013-14 पारित आदेश दि. 19-8-13-पुन: 19-8-13 ट्रेडिंग का पालन कराया जाकर राजस्व अभिलेख से आवेदक गणों का नाम भूमि स्वामी कालम से निरस्त किया जाकर आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी कालम पर दर्ज कराये जाने हेतु ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता एवं सह पठित धारा 151 व्या0प्र0 संहिता ।

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि आ0 ख0 क्रमांक 691/4 रकबा 0.065 हे0, एवं खसरा क्रमांक 692 रकबा 0.038 हे0, की भूमि आवेदिका के पट्टे एवं कब्जे दखल की भूमि है जिस भूमि का अनावेदक क्रमांक 1 ने फर्जी ढंग से विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया है और उसी विक्रय पत्र के आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक रेस्टो॰ 9047–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर भूमिस्वामी कालम में नाम दर्ज कराये जाने बावत प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन सक्षम न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण ग्राह्य किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। आवेदक चाहे तो उक्त आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर कार्यवाही करा सकता है और यदि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर विधिअनुसार कार्यवाही न की जाये तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः यह प्रकरण ग्राहयता के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	